[2014] 2 एस.सी.आर. 175

सासी एंटरप्राइज़ेज़

बनाम

आयकर के सहायक आयुक्त

(2007 की आपराधिक अपील संख्या 61)

30 जनवरी, 2014

[के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी, न्यायमूर्तिगण]

आयकर अधिनियम, 1961 :

धाराएँ 139 तथा 276 सीसी – आयकर विवरणी – दाखिल न किया जाना – अभियोजन – अभिनिर्धारित : प्रासंगिक समय पर धारा 139 में यह उपबंध था कि निर्धारित तिथि से पूर्व विवरणी दाखिल करना निर्धार्यी के लिए अनिवार्य है।

धारा 144 सहपठित धाराएँ 139 तथा 276 – सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण – विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धार्यी के दायित्व पर प्रभाव – अभिनिर्धारित : फर्म स्वतंत्र रूप से विवरणी दाखिल करने के लिए बाध्य है और केवल इस कारण कि धारा 144 के अधीन सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण कर दिया गया था, धारा 139(1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के फर्म के दायित्व का निराकरण नहीं होगा।

धारा 276 सीसी सहपठित धाराएँ 142 तथा 148 – अभिनिर्धारित : धारा 276 सीसी के अधीन अपराध, धारा 139(1) के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहने अथवा अधिनियम की धारा 142 या धारा 148 के अधीन जारी सूचना का उसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रत्युत्तर देने में विफल रहने पर आकर्षित होता है।

धारा 276सीसी – अभियोजन – अपील की लंबितता – प्रभाव – अभिनिर्धारित : अपीलीय कार्यवाहियों की लंबितता को अधिनियम की धारा 276सीसी के अधीन अभियोजन आरंभ न किए जाने हेतु प्रासंगिक कारक नहीं कहा जा सकता – विधियों की व्याख्या।

धारा 278ई — आयकर विवरणी दाख़िल न किया जाना — अनुमान — निर्णीत: धारा 276सीसी जैसे अपराध के अभियोजन में न्यायालय को यह अनुमान करना होता है कि अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक अवस्था विद्यमान थी, और इसके विपरीत तथ्य सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है, वह भी संदेह से परे। अपीलकर्ताओं को वे परिस्थितियाँ सिद्ध करनी होंगी जिनके कारण वे धारा 139(1) के अनुसार अथवा धाराएँ 142 और 148 के अंतर्गत जारी सूचनाओं के प्रत्युत्तर में आयकर विवरणी दाख़िल करने में असमर्थ रहे।

2007 की आपराधिक अपील संख्या 61 में अपीलकर्ता एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है तथा उसके भागीदार, जो 2007 की आपराधिक अपील संख्याएँ 62 एवं 63 में अपीलकर्ता हैं, अर्थात् अभियुक्त-2 एवं अभियुक्त-3, के विरुद्ध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276सीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध किए जाने के लिए अभियोजन चलाया गया, क्योंकि उन्होंने फर्म के संबंध में आकलन वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के लिए तथा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आकलन वर्ष 1993-94 के लिए आयकर विवरणी दाख़िल नहीं की थी। अपीलकर्ताओं ने दं.प्र.सं. की धारा 245(2) के अंतर्गत दो उन्मोचन याचिकाएँ प्रस्तुत कीं, जिन्हें मुख्य महानगर दंडाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा उनके द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए।

करदाताओं द्वारा दायर इन तत्क्षण अपीलों में, न्यायालय के समक्ष विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न हुए:

(1) क्या किसी करदाता पर अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत उसमें निर्धारित नियत तिथि के भीतर आयकर विवरणी दाख़िल करने का दायित्व/कर्तव्य है?

(2) अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत किए गए सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण का क्या प्रभाव है, और क्या इससे करदाता का अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर विवरणी दाख़िल करने का दायित्व समाप्त हो जाता है?

(3) क्या अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर विवरणी दाख़िल न किया जाना, तथा अधिनियम की धाराएँ 142 और 148 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन न किया जाना—दोनों ही—अधिनियम की धारा 276सीसी के प्रावधानों को लागू करने के आधार हैं?

(4) क्या निर्धारण से संबंधित अपीलीय कार्यवाहियों की लंबितता अथवा निर्धारण कार्यवाही की अंतिमता प्राप्त न होना, आयकर विवरणियाँ दाख़िल न किए जाने के कारण धारा 276सीसी के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही आरंभ किए जाने में अवरोध है?

(5) अधिनियम की धारा 278ई का क्षेत्र क्या है और न्यायालय द्वारा उपधारणा किस अवस्था में ग्रहण की जा सकती है?"

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 प्रत्येक व्यक्ति पर यह वैधानिक अनिवार्यता आरोपित करती है कि वह निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित रीति से आयकर विवरणी दाख़िल करे। प्रत्यक्ष कर विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा, जो 01.04.1989 से प्रभावी हुआ, आयकर अधिनियम में विभिन्न संशोधन किए गए, जिनके परिणामस्वरूप आकलन अधिकारी को धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर विवरणी दाख़िल करने की समय-सीमा बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं रही, तथा धारा 139(3) के अंतर्गत आगे वहन किए जाने हेतु अभिप्रेत हानि की विवरणी दाख़िल करने की समय-सीमा बढ़ाने की शक्ति भी समाप्त हो गई। धारा 139(4) के अंतर्गत विलंबित विवरणी अथवा धारा 139(5) के अंतर्गत संशोधित विवरणी दाख़िल करने के लिए निर्धारित अवधि को संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष कर दिया गया। धारा 139(2) का प्रावधान धारा 142(1)(i) में

समाहित कर दिया गया।धारा 142(1)(i) के अंतर्गत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु जारी सूचना आकलन वर्ष के दौरान ही जारी नहीं की जा सकती तथा संबंधित व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम तीस दिन की अवधि देना आवश्यक नहीं है। धारा 142(1)(i) के अंतर्गत जारी सूचना का अनुपालन न किए जाने पर धारा 276सीसी के अंतर्गत अभियोजन आकर्षित हो सकता है। [कंडिका 16] [190-एफ–एच; 191-ए–सी]

1.2. आयकर अधिनियम में धारा 271(1)(क) के अंतर्गत दंड तथा धारा 276सीसी के अंतर्गत अभियोजन, दोनों का प्रावधान किया गया था; जिसमें पहला राजकोष को देय कर से वंचित किए जाने के लिए तथा दूसरा किए गए अपराध/उल्लंघन के लिए था। कराधान विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा धारा 271(1)(क) के अंतर्गत दंड का प्रावधान 01.04.1989 से विलोपित कर दिया गया तथा अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत अनिवार्य/बाध्यकारी ब्याज आरोपित किए जाने का प्रावधान प्रवर्तित किया गया। तथापि, विधायिका ने आयकर विवरणी प्रस्तुत न किए जाने अथवा उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 276सी सी के अंतर्गत अभियोजन संबंधी प्रावधानों को कभी भी न तो त्यागा है और न ही शिथिल किया है। [कंडिका 17] [191-डी–एफ]

1.3 संबंधित समय पर यथास्थित आयकर अधिनियम की धारा 139 का साधारण पाठ यह दर्शाता है कि करदाता के लिए नियत तिथि से पूर्व आयकर विवरणी दाख़िल करना अनिवार्य है। उक्त धारा के स्पष्टीकरण (क) में "नियत तिथि" पद को परिभाषित किया गया है, जो किसी कंपनी के मामले में आकलन वर्ष की 30 नवम्बर है। समय पर आयकर विवरणी दाख़िल न किए जाने के परिणाम भी अधिनियम में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। [कंडिका 19] [191-डी–ई]

1.4 धारा 276सी सी की संवैधानिक वैधता को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सोनारोम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अनुमोदित किया गया था। उक्त धारा उस

व्यक्ति को दंडित करती है जो जानबूझकर निर्धारित समय के भीतर आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है। [कंडिका 22] [195-एफ–जी]

सोनारोम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2000) 242 आई.टी.आर. 39 (कर्नाटक) — अनुमोदित।

2. अपीलकर्ताओं द्वारा आयकर विवरणियाँ दाख़िल न किए जाने पर, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण किया तथा तत्पश्चात अधिनियम की धारा 276सी सी के अंतर्गत अभियोजन आरंभ करने हेतु कारण बताओ सूचनाएँ जारी की गईं। भागीदारों द्वारा अपनी व्यक्तिगत आयकर विवरणियों में दिया गया यह घोषणा-पत्र अथवा कथन कि फर्म के लेखे अंतिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं और इस कारण फर्म द्वारा कोई आयकर विवरणी दाख़िल नहीं की गई है, फर्म को अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत वैधानिक आयकर विवरणी दाख़िल करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता। फर्म पर स्वतंत्र रूप से आयकर विवरणी दाख़िल करने का दायित्व है और मात्र इस कारण कि धारा 144 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण किया गया है, इससे अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार आयकर विवरणी दाख़िल करने का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। [कंडिका 26 एवं 29] [197-ई; 199-बी–सी]

3.1 धारा 276सी सी उन परिस्थितियों पर लागू होती है जहाँ किसी करदाता ने आयकर अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अपेक्षित रूप से आयकर विवरणी दाख़िल नहीं की है अथवा करदाता को धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत जारी सूचनाओं के प्रत्युत्तर में आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है। धारा 276सी सी का उपबंध वास्तविक करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करता है। धारा 276सी सी में धारा 139 की उप-धारा (1), धारा 142(1)(i) तथा धारा 148 सम्मिलित हैं। तथापि, धारा 276सीसी के उपबंध में केवल धारा 139 की उप-धारा (1) को ही सम्मिलित किया गया है और धारा 142(1)(i) अथवा धारा 148 के प्रावधान उसमें स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। परिणामस्वरूप, उपबंध का लाभ केवल धारा

139(1) के अंतर्गत अपेक्षित स्वैच्छिक रूप से आयकर विवरणी दाख़िल करने की स्थिति में ही उपलब्ध है। अतः, आयकर विवरणी दाख़िल न किए जाने की विफलता का पता चल जाने के पश्चात तथा धारा 142(1)(i) अथवा धारा 148 के अंतर्गत आयकर विवरणी दाख़िल करने के लिए सूचना जारी किए जाने के बाद, उक्त उपबंध लागू नहीं होगा। इसलिए, उपबंध यह परिकल्पित करता है कि विफलता के पता चलने या खोजे जाने तथा धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत सूचना जारी किए जाने से पूर्व, विलंबित आयकर विवरणी भी दाख़िल की जा सकती है। [कंडिका 23–24] [196-बी–सी, जी–एच; 197-ए–बी]

3.2 धारा 139(1) तथा धारा 142 की उप-धारा (1)—दोनों का उल्लेख धारा 139 की उप-धारा (4) में किया गया है, जो समय-सीमा निर्दिष्ट करती है। अतः "जो भी पहले हो" पदबंध को धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुमत समय अथवा धारा 142 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी सूचना में अनुमत समय—जो भी पहले हो—के संदर्भ में पढ़ा जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, करदाता ने न तो धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुमत समय के भीतर और न ही धारा 142 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी सूचनाओं में अनुमत समय के भीतर आयकर विवरणी दाख़िल की। [कंडिका 25] [197-सी–डी]

प्रकाश नाथ खन्ना एवं एक अन्य बनाम आयकर आयुक्त एवं एक अन्य, 2004 (2) एससीआर 434 : (2004) 9 एससीसी 686 – का अवलंबन किया गया।

3.3 यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ताओं द्वारा आयकर विवरणी दाख़िल करने में कोई जानबूझकर विफलता नहीं हुई। तथ्यों के आधार पर, इन सभी अपीलों में आयकर अधिनियम की धारा 276 सीसी के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है और उन्मोचन हेतु आवेदन की अस्वीकृति में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [कंडिका 27] [198-बी–सी]

वेलिंगटन बनाम रेनॉल्ड *(1962) 40 टी.सी. 209* — संदर्भित।

4. अपीलीय कार्यवाहियों की लंबितता को आयकर अधिनियम की धारा 276सीसी के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही आरंभ न करने का प्रासंगिक आधार नहीं कहा जा सकता। धारा 276सीसी यह परिकल्पित करती है कि आयकर विवरणी दाख़िल न किए जाने पर ही अपराध घटित हो जाता है और यह निर्धारण कार्यवाहियों की लंबितता से पूर्णतः असंबद्ध है; केवल अपराध के दंड के निर्धारण से संबंधित दूसरे भाग के लिए विभाग उल्लंघन की सीमा निर्धारित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण अथवा अन्यथा पूर्ववर्ती वर्षों का सहारा ले सकता है। धारा 276सीसी की भाषा स्पष्ट है, और विधायिका का अभिप्राय भी उतना ही स्पष्ट है। यह स्थापित विधि है कि किसी अधिनियम में प्रयुक्त भाषा ही विधायिका के अभिप्राय का निर्धारक कारक होती है। यह भी सुविदित सिद्धांत है कि जब कोई वैधानिक उपबंध स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तब न्यायालय उसमें कुछ भी जोड़कर नहीं पढ़ सकता। यदि विधायिका का यह अभिप्राय होता कि अपील अथवा अन्य किसी माध्यम से निर्धारण कार्यवाहियाँ पूर्ण होने तक अभियोजन कार्यवाही स्थगित रखी जाए, तो ऐसा प्रावधान धारा 276सीसी में ही किया गया होता। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारण कार्यवाहियों के समापन तक कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया जा सकता—विशेष रूप से ऐसे मामले में, जहाँ अपीलकर्ता ने धारा 139(1) के अनुसार अथवा धाराएँ 142 या 148 के अंतर्गत जारी सूचनाओं के अनुपालन में आयकर विवरणी दाख़िल ही नहीं की है। [कंडिका 28] [198-डी–एच; 199-ए]

बी. परमानंद बनाम मोहन कोड़कल (2011) 3 एस.सी.आर. 932; (2011) 4 एस.सी.सी. 266 — संदर्भित।

5. धारा 278ई दोषपूर्ण मानसिक अवस्था के संबंध में अनुमान से संबंधित है, जिसे कराधान विधियाँ (संशोधन तथा विविध उपबंध) अधिनियम, 1986 द्वारा अधिनियम में अंतःस्थापित किया गया था। धारा 276सी सी जैसे अपराध के अभियोजन में न्यायालय को यह अनुमान करना होता है कि दोषपूर्ण मानसिक अवस्था विद्यमान थी, और इसके विपरीत तथ्य सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है, वह भी संदेह से परे। परिणामस्वरूप,

अपीलकर्ताओं को वे परिस्थितियाँ सिद्ध करनी होंगी जिनके कारण वे धारा 139(1) के अनुसार अथवा अधिनियम की धाराएँ 142 और 148 के अंतर्गत जारी सूचनाओं के प्रत्युत्तर में आयकर विवरणियाँ दाख़िल नहीं कर सके। [कंडिका 30] [199-डी–ई, एफ]

6. अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। आपराधिक न्यायालय को विचारण शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है।[कंडिका 31] [199-जी–एच]

धनकर आयुक्त, गुजरात बनाम विमलाबेन वाडीलाल मेहता (श्रीमती) **1984 (1) एससीआर 480 = (1983) 4 एससीसी 692;** *धनकर आयुक्त, गुजरात, अहमदाबाद बनाम वाडीलाल लल्लुभाई एवं अन्य,* **1984 (1) एससीआर 485 = (1983) 4 एससीसी 697;** *हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड एवं एक अन्य*, **2005 (1) अनुपूरक एससीआर 684 = (2005) 6 एससीसी 499;** *प्रकाश नाथ खन्ना एवं एक अन्य बनाम आयकर आयुक्त एवं एक अन्य*, **2004 (2) एससीआर 434 = (2004) 9 एससीसी 686;** *माया रानी पुंजी (श्रीमती) बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली*, **1985 (3) अनुपूरक एससीआर 827 = (1986) 1 एससीसी 445;** *पी.आर. मेत्रानी बनाम आयकर आयुक्त, बैंगलोर,* **2006 (9) अनुपूरक एससीआर 1 = (2007) 1 एससीसी 789;** *कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स*, **2008 (17) एससीआर 572 = (2009) 2 एससीसी 513;** *रविन्दर सिंह बनाम हरियाणा राज्य*, **1975 (3) एससीआर 453 = (1975) 3 एससीसी 742; तथा** *स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एवं अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य*, **2006 (2) एससीआर 709 = (2006) 4 एससीसी 278 – उद्धृत।**

नज़ीर संदर्भ :

1984 (1) एससीआर 480	**— उद्धृत**	**— कंडिका 10**
1984 (1) एससीआर 485	**— उद्धृत**	**— कंडिका 10**

2005 (1) अनुपूरक एससीआर 684 — उद्धृत — कंडिका 10

2004 (2) एससीआर 434 — अवलंबन किया गया — कंडिका 10

1985 (3) अनुपूरक एससीआर 827 — उद्धृत — कंडिका 11

2006 (9) अनुपूरक एससीआर 1 — उद्धृत — कंडिका 12

2008 (17) एससीआर 572 — उद्धृत — कंडिका 12

1975 (3) एससीआर 453 — उद्धृत — कंडिका 12

2006 (2) एससीआर 709 — उद्धृत — कंडिका 12

(2000) 242 आईटीआर 39 (कर्नाटक) — अनुमोदित — कंडिका 22

2011 (3) एस.सी.आर. 932 — संदर्भित — कंडिका 28

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2007 की आपराधिक अपील संख्या 61

दिनांक 02.12.2006 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध, जो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक आर.सी. सं. 782 एवं 784/2006 में पारित किया गया।

साथ में

आपराधिक अपील सं. 62/2007

आपराधिक अपील सं. 63/2007

आपराधिक अपील सं. 64/2007

शेखर नाफड़े, गौरव अग्रवाल, सैंथिल, मेहा अग्रवाल, वरुण टंडन, सुब्रमोनियम प्रसाद, प्रणब कुमार मुल्लिक — अपीलकर्ता की ओर से।

सिद्धार्थ लूथरा, ए.एस.जी., के. राधाकृष्णन, के. रामास्वामी, डब्ल्यू.ए. क़ादरी, अरिजित प्रसाद, रजत माथुर, गरगी खन्ना, राहुल कौशिक, प्रणय अग्रवाल, बी.वी. बालाराम दास, अजय बंसल, राकेश कुमार, ए.ए. चौधरी, राजीव कुमार, धीरज गुप्ता — उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन द्वारा प्रदत्त। — हम वर्ष 2007 की चार आपराधिक अपील सं. 61 से 64 से संबंधित हैं, जिनमें से दो आपराधिक अपील सं. 61/2007 तथा 63/2007 मेसर्स ससी एंटरप्राइजेज, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म से संबंधित हैं, जिसकी साझेदार सुश्री जे. जयललिता तथा श्रीमती एन. शशिकला हैं, जो क्रमशः निर्धारण वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 से संबंधित हैं। आपराधिक अपील सं. 62 तथा 63/2007 क्रमशः जे. जयललिता तथा एन. शशिकला से संबंधित हैं, जो निर्धारण वर्ष 1993-94 से संबंधित हैं। इन अपीलों को जन्म देने वाली कार्यवाही आयकर के सहायक आयुक्त, चेन्नई द्वारा, अपर मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एग्मोर), चेन्नई के समक्ष, निर्धारण वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के लिए विवरणियां दाखिल करने में जान-बूझकर एवं जानकर विफल रहने तथा इस प्रकार आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 276सीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के संबंध में दायर शिकायतों से आरंभ हुई। आयकर अधिनियम की धारा 279(1) के अंतर्गत आयकर आयुक्त, सेंट्रल-II, चेन्नई से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात 21.8.1997 को शिकायतें दायर की गईं। अपीलकर्ताओं ने दं.प्र.सं. की धारा 245(2) के अंतर्गत दो उन्मोचन याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें मुख्य महानगर दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 14.6.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं. 781 से 786 दायर की थीं, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2.12.2006 के अपने सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, और वही इन अपीलों का विषय-वस्तु हैं।

2. मेसर्स शशिकला एंटरप्राइजेज का गठन एक साझेदारी फर्म के रूप में दिनांक 06.02.1989 के साझेदारी विलेख द्वारा किया गया था, जिसमें एन. शशिकला तथा टी.वी. दिनाकरन इसके साझेदार थे, जिसे बाद में दिनांक 04.05.1990 से प्रभावी रूप से जे. जयललिता तथा एन. शशिकला को साझेदार बनाकर पुनर्गठित किया गया। फर्म ने दो इकाइयों के माध्यम से व्यवसाय किया, यथा, मेसर्स फैक्स यूनिवर्सल तथा मेसर्स जे.एस. प्लान प्रिंटर्स, जिसमें, साथ-साथ, सभी प्रकार की मोटर कारें चलाने, वाहनों तथा माल आदि का व्यापार करने का व्यवसाय भी शामिल था। मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एग्मोर के समक्ष दायर शिकायत ई.ओ.सी.सी. सं. 202/1997 में, मेसर्स ससी एंटरप्राइजेज को प्रथम अभियुक्त (ए-1) के रूप में दर्शाया गया तथा जे. जयललिता और एन. शशिकला को क्रमशः (ए-2) तथा (ए-3) के रूप में दर्शाया गया, जिनके बारे में कहा गया था कि वे संबंधित निर्धारण वर्षों के दौरान फर्म के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए उत्तरदायी थे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से फर्म की समस्त गतिविधियों के लिए उत्तरदायी और उत्तरदायी ठहराया गया। दिनांक 04.05.1990 के साझेदारी विलेख में स्वयं यह उल्लेख था कि साझेदार, ए-2 तथा ए-3 बैंक खातों का संचालन करने के लिए उत्तरदायी एवं अधिकृत हैं, फर्म की व्यावसायिक गतिविधियों में फर्म के प्रबंधन में पूर्ण एवं समान अधिकार रखते हैं, फर्म के व्यवसाय हेतु निधियों का विनियोजन कर सकते हैं, कर्मचारियों, चौकीदार आदि की नियुक्ति कर सकते हैं तथा आयकर, बिक्रीकर एवं अन्य प्राधिकारियों के समक्ष फर्म का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

3. मेसर्स ससी एंटरप्राइजेज, फर्म ने निर्धारण वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के लिए कोई विवरणियां दाखिल नहीं कीं, जिसके लिए फर्म तथा उसके साझेदारों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 276 सीसी के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा रहा है। जे. जयललिता तथा एन. शशिकला ने निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए विवरणियां दाखिल नहीं कीं और इसलिए उस उल्लंघन के लिए (अपनी व्यक्तिगत हैसियत में) उनके विरुद्ध पृथक रूप से

अभियोजन चलाया जा रहा है, परंतु निर्धारण वर्ष 1991-92 अथवा 1992-93 के लिए नहीं, तथा निर्धारण वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के लिए उन्होंने व्यक्तिगत निर्धारणार्थी के रूप में अपने विवरणियां दाखिल की हैं, यद्यपि क्रमशः 20.11.1994 तथा 23.02.1994 को विलंब से। उन विवरणियों में यह उल्लेख किया गया था कि फर्म के लेखे अंतिम रूप से तैयार नहीं किए गए थे तथा फर्म की कोई विवरणियां दाखिल नहीं की गई थीं।

4. आयकर के सहायक आयुक्त ने अपनी शिकायत में कहा कि फर्म को अपने साझेदारों के माध्यम से अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए दिनांक 31 अगस्त, 1991 को या उससे पूर्व तथा निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए दिनांक 31 अगस्त, 1992 को या उससे पूर्व अपनी विवरणियां दाखिल करनी चाहिए थी तथा ए-2 को अपनी व्यक्तिगत हैसियत में भी वर्ष 1993-94 के लिए धारा 139(1) के अंतर्गत दिनांक 31.08.1993 को या उससे पूर्व अपनी विवरणी दाखिल करनी चाहिए थी और ए-3 को भी अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए दिनांक 31 अगस्त, 1993 को या उससे पूर्व अपनी विवरणी दाखिल करनी चाहिए थी। यह इंगित किया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने संबंधित निर्धारण वर्षों की समाप्ति से पूर्व भी विवरणियां दाखिल करने की जहमत नहीं उठाई, न ही उन्होंने अधिनियम की धारा 139(4) के अंतर्गत निर्धारित बाह्य वैधानिक सीमा अर्थात् निर्धारण वर्ष के मार्च की समाप्ति तक कोई विवरणी दाखिल की। यह भी इंगित किया गया कि फर्म के संबंध में धारा 133A के अंतर्गत दिनांक 25.08.1992 को सर्वेक्षण किया गया और उसके पश्चात प्रश्नगत वर्षों के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने हेतु दिनांक 15.2.1994 को साझेदारी फर्म को धारा 148 के अंतर्गत नोटिस तामील कराया गया। यद्यपि नोटिस दिनांक 16.2.1994 को तामील किया गया, तथापि नोटिस में प्रदान समयावधि के भीतर कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई। न तो कोई विवरणी दाखिल की गई, न ही आय का विवरण प्रस्तुत किया गया। निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए यह कहा गया कि पूर्व-निर्धारण नोटिस दिनांक 18.12.1995 को तामील किया गया,

अवसर प्रदान करते हुए धारा 142(1)(ii) के अंतर्गत नोटिस भी दिनांक 20.07.1995 को जारी किया गया। विभाग ने निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण दिनांक 08.02.1996 को कुल आय ₹ 5,84,860/- पर किया और कर ₹ 3,02,434/- निर्धारित किया गया तथा कर एवं देय ब्याज के रूप में ₹ 9,95,388/- की मांग नोटिस दिनांक 08.02.1996 को जारी की गई।

5. निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए, फर्म के संबंध में धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण दिनांक 9.2.1996 को कुल आय ₹ 14,87,930/- पर किया गया और कर ₹ 8,08,153/- निर्धारित किया गया, तथा कर एवं देय ब्याज के संबंध में मांग नोटिस जारी किया गया।

6. जहाँ तक ए-2 का संबंध है, हम यह इंगित कर सकते हैं कि अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए आय विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि 31.8.1993 थी। धारा 142(1)(i) के अंतर्गत ए-2 को आय विवरणी दाखिल करने के लिए दिनांक 18.1.1994 को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस उसे दिनांक 19.1.1994 को तामील किया गया। दिनांक 10.2.1994, 22.8.1994 तथा 23.8.1995 को अनुस्मारक जारी किए गए। धारा 139(4) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार दिनांक 31.3.1995 से पूर्व कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई। विभाग द्वारा दिनांक 31.7.1995 को धारा 142(1)(ii) के अंतर्गत आकलन पूर्ण करने हेतु आय का विवरण तथा अन्य विवरण मांगते हुए नोटिस जारी किया गया। न तो आय विवरणी दाखिल की गई और न ही आय का विवरण प्रस्तुत किया गया। धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण दिनांक 9.2.1996 को कुल आय ₹ 1,04,49,153/- पर किया गया और कर ₹ 46,68,676/- निर्धारित किया गया तथा ₹ 96,98,801/- की मांग, जिसमें ₹ 55,53,882/- ब्याज सम्मिलित है, ₹ 5,23,756/- पूर्व-भुगतान कर समायोजित करने के पश्चात उठाई गई। विभाग ने तत्पश्चात धारा 276सीसी के

अंतर्गत अभियोजन हेतु दिनांक 14.6.1996 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाद में, आयकर आयुक्त द्वारा दिनांक 3.10.1996 को अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

7. ए-3 भी निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए धारा 139(1) के अनुसार नियत तिथि अर्थात् 31.8.1993 से पूर्व आय विवरणी दाखिल करने में विफल रही। धारा 142(1)(i) के अंतर्गत ए-3 को आय विवरणी दाखिल करने के लिए दिनांक 8.11.1995 को नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, धारा 142(1)(ii) के अंतर्गत भी दिनांक 21.7.1995 को आकलन पूर्ण करने हेतु आय का विवरण तथा अन्य विवरण मांगते हुए नोटिस जारी किया गया। न तो आय विवरणी दाखिल की गई और न ही आय का विवरण प्रस्तुत किया गया। धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण दिनांक 8.2.1996 को कुल आय ₹ 70,28,110/- पर किया गया और कर ₹ 26,86,445/- निर्धारित किया गया। देय ब्याज सहित कुल देय कर ₹ 71,19,527/- था। अपीलीय आदेश को प्रभावी किए जाने के पश्चात कुल आय में ₹ 19,25,000/- का पुनरीक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपित ब्याज सहित ₹ 20,23,279/- की कर मांग हुई। बाद में, धारा 276सीसी के अंतर्गत अभियोजन हेतु ए-3 को दिनांक 7.8.1996 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ए-3 ने दिनांक 24.11.1996 तथा 24.3.1997 को जवाब प्रस्तुत किए। आयकर आयुक्त ने दिनांक 4.8.1997 को अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

8. हम प्रसंगवश यह भी इंगित कर सकते हैं कि जहाँ तक फर्म का संबंध है, चेन्नई स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण (बी पीठ) के दिनांक 1.9.2006 के आदेश को प्रभावी किए जाने तथा निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए पूर्व-भुगतान कर का श्रेय दिए जाने के पश्चात अंतिम कर देयता ₹ 32,63,482/- के रूप में निर्धारित की गई। फर्म के लिए निर्धारण वर्ष 1992-93 हेतु भी, चेन्नई स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण (बी पीठ) के दिनांक 1.9.2006 के आदेश को प्रभावी किए जाने तथा पूर्व-भुगतान कर का श्रेय दिए जाने के पश्चात अंतिम कर देयता ₹ 52,47,594/- के रूप में निर्धारित की गई। जहाँ तक ए-2 का संबंध है,

निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए, चेन्नई स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण (बी पीठ) के दिनांक 11.10.2008 के आदेश को प्रभावी किए जाने के पश्चात तथा पूर्व-भुगतान कर का श्रेय दिए जाने के पश्चात अंतिम कर देयता ₹ 12,54,395/- के रूप में निर्धारित की गई। जहाँ तक ए-3 का संबंध है, निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए, चेन्नई स्थित आयकर अपीलीय अधिकरण (बी पीठ) के दिनांक 14.9.2004 के आदेश को प्रभावी किए जाने तथा पूर्व-भुगतान कर का श्रेय दिए जाने के पश्चात अंतिम कर देयता ₹ 9,81,870/- के रूप में निर्धारित की गई।

9. हम पहले ही यह इंगित कर चुके हैं कि विवरणियां दाखिल नहीं करने तथा विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण, सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 276सीसी के अंतर्गत अभियोजन आरंभ किया गया तथा दिनांक 21.08.1997 को मुख्य महानगर दंडाधिकारी के समक्ष शिकायतें दायर की गईं, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा जारी रहने की अनुमति दी है।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नाफड़े ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 276सीसी के क्षेत्र को समझने में विफल रहा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इंगित किया कि एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि परिवाद की तिथि अर्थात् 21.08.1997 को निर्धारण अंतिम रूप प्राप्त नहीं कर पाया था, तो परिवाद अपनी प्रस्तुति की तिथि पर अपरिपक्व हो गया था और अधिनियम की धारा 276 के अधीन अपराध के सभी अवयव पूर्ण नहीं हुए थे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इंगित किया कि जब तक यह प्रदर्शित न कर दिया जाए कि विवरणी दाखिल करने में विफलता जानबूझकर अथवा साशय थी, तब तक धारा 276सीसी के अधीन कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया जा सकता था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इंगित किया कि वास्तव में, द्वितीय अभियुक्त ने अपनी व्यक्तिगत विवरणी में यह प्रकट किया था कि फर्म व्यवसाय कर रही थी तथा उसकी कुछ आय थी और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ए-2 ने इस

तथ्य को छिपाया था कि फर्म की कोई आय थी अथवा कर-दायित्व से बचने का कोई आशय था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि निर्धार्यी द्वारा कोई अपराध किया गया है अथवा नहीं, यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आय तथा कर-दायित्व के अंतिम निर्धारण पर निर्भर करेगा, न कि निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण पर। धारा 276 सीसी के परंतुक का अवलंबन करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 276 सीसी की केवल यही व्याख्या की जा सकती है। अपने कथन के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णयों, अर्थात् *धनकर आयुक्त, गुजरात बनाम विमलाबेन वाडीलाल मेहता (श्रीमती)* (1983) 4 एससीसी 692, *धनकर आयुक्त, गुजरात, अहमदाबाद बनाम वाडीलाल लल्लुभाई एवं अन्य* (1983) 4 एससीसी 697 तथा *हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड एवं एक अन्य* (2005) 6 एससीसी 499 का अवलंबन किया गया। अधिनियम की धारा 278 ई का उल्लेख करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब तक निर्धारण अंतिम रूप प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक धारा 276 सीसी के अधीन अपराध पूर्ण नहीं होता है और धारा 278 ई के अधीन उपधारणा आकर्षित नहीं होती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने *प्रकाश नाथ खन्ना एवं एक अन्य बनाम आयकर आयुक्त एवं एक अन्य* (2004) 9 एससीसी 686 में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गलत रूप से लागू किया है, जो किसी भी दृष्टि से पुनर्विचार की अपेक्षा करता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय अधिनियम की धारा 276 सीसी के परंतुक से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करता है, जिसमें यह उपबंध है कि यदि कर की राशि 3,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो कोई अपराध गठित नहीं होता।

11. दूसरी ओर, राजस्व की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 139 प्रत्येक व्यक्ति पर यह वैधानिक आदेश अधिरोपित करती है कि वह निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित रीति से नियत तिथि

अर्थात् संबंधित निर्धारण वर्ष की 31 अगस्त को या उससे पूर्व आयकर विवरणी दाखिल करे। विद्वान ए.एस.जी. ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 139(1) के उल्लंघन पर, अधिनियम की धारा 276 सीसी के अन्य अवयवों के अधीन, निर्धारणार्थी के विरुद्ध अभियोजन चलाने हेतु कारण-ए-दावा उत्पन्न होता है। विद्वान ए.एस.जी. ने इंगित किया कि कार्यवाही में जो प्रासंगिक है, वह केवल अधिनियम की धारा 139(1) में निर्धारित नियत तिथि ही नहीं है, बल्कि अधिनियम की धारा 142 तथा 148 के अंतर्गत निर्धारित समय भी है, जिसके द्वारा निर्धारित समयावधि में विवरणी दाखिल करने हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, विद्वान ए.एस.जी. के अनुसार धारा 276 सीसी उस स्थिति पर लागू होती है, जहाँ निर्धारणार्थी अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार अथवा अधिनियम की धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत निर्धारणार्थी को जारी नोटिसों के प्रत्युत्तर में आय विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो। विद्वान ए.एस.जी. ने यह भी प्रस्तुत किया कि धारा 276 सीसी के परंतुक का क्षेत्राधिकार उन वास्तविक निर्धारणार्थियों की रक्षा करना है, जो या तो विलंब से किंतु निर्धारण वर्ष की समाप्ति के भीतर अपनी विवरणी दाखिल कर देते हैं अथवा जिन्होंने पूर्व-भुगतान कर के माध्यम से अपने कर देयों की पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया हो। *प्रकाश नाथ खन्ना एवं एक अन्य* (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का पर्याप्त अवलंबन किया गया। *दिल्ली बनाम आयकर आयुक्त, माया रानी पुंजी (श्रीमती)* (1986) 1 एससीसी 452 में इस न्यायालय के निर्णय का भी अवलंबन किया गया।

12. विद्वान अपर महान्यायवादी ने भी *पी.आर. मेत्रानी बनाम आयकर आयुक्त, बैंगलोर* (2007) 1 एससीसी 789 तथा *कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स* (2009) 2 एससीसी 513 का अवलंबन करते हुए धारा 278 ई के क्षेत्र की व्याख्या की और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलीय कार्यवाहियों की लंबितता धारा 276 सीसी के अधीन अभियोजन के संबंध में कोई प्रासंगिक कारक नहीं है। *रविन्दर सिंह बनाम हरियाणा राज्य* (1975) 3 एससीसी 742 तथा *स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एवं अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य* (2006) 4 एससीसी

278 का भी उल्लेख किया गया। विद्वान अपर महान्यायवादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकाश नाथ खन्ना (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय पुनर्विचार की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसका एकरूप रूप से इस न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अनुप्रयोग किया गया है। विद्वान अपर महान्यायवादी ने यह भी इंगित किया कि अपीलकर्ता वाद-विवाद संबंधी उपायों में लिप्त रहे हैं, जिसके कारण वे लगभग दो दशकों तक कार्यवाही को रोके रखने में सक्षम रहे, तथा विचारण न्यायालय ने उन्मोचन हेतु आवेदन को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया था, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा भी कर दी गई थी, और उसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं है।

13. हम उन प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे विचारार्थ उत्पन्न होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(1) क्या किसी निर्धारणार्थी पर अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत उसमें निर्धारित नियत तिथि के भीतर विवरणी दाखिल करने का दायित्व/कर्तव्य है?

(2) अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय आकलन का क्या प्रभाव है और क्या वह अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत अपनी विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारणार्थी की देयता को निष्प्रभावी कर देगा?

(3) क्या अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत विवरणी दाखिल न करना, साथ ही अधिनियम की धारा 142 तथा 148 के अंतर्गत निर्धारित समय का अनुपालन न करना, अधिनियम की धारा 276 सीसी के प्रावधानों के आह्वान के आधार हैं?

(4) क्या आकलन से संबंधित अपीलीय कार्यवाही की लंबितता अथवा आकलन कार्यवाही का अंतिमता को प्राप्त न करना, विवरणियां दाखिल न करने के कारण धारा 276 सीसी के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही आरंभ करने में बाधा है?

(5) अधिनियम की धारा धारा 278 ई का क्षेत्राधिकार क्या है, और किस चरण पर न्यायालय द्वारा अनुमान आहरित किया जा सकता है?

14. हम प्रारंभ में यह इंगित कर सकते हैं कि अपीलकर्ताओं ने पूर्व में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और एस.एल.पी.(सि.) सं. 3655-3658/2005 दायर किए थे, जिनका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2006 के आदेश द्वारा यह निर्देश देते हुए किया गया कि विचारण न्यायालय उन्मोचन हेतु याचिका का निस्तारण दो माह की अवधि के भीतर करे। विद्वान मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने दिनांक 14.06.2006 के आदेश द्वारा याचिकाओं को खारिज कर दिया। यद्यपि उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.12.2006 के अपने निर्णय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की, तथापि ये अपीलें किसी न किसी कारणवश इस न्यायालय के समक्ष छह वर्ष से अधिक अवधि तक लंबित रहीं।

15. हम इन अपीलों में, अपीलकर्ताओं द्वारा निर्धारण वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के लिए विवरणियां दाखिल न किए जाने के प्रश्न से संबंधित हैं। राजस्व द्वारा तथा न्यायालयों द्वारा पारित प्रत्येक और प्रत्येक आदेश को उच्चतर न्यायालयों के समक्ष, या तो अपीलों, पुनरीक्षणों अथवा रिट याचिकाओं के माध्यम से, उठाया गया। इन अपीलों के संबंध में विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण राजस्व द्वारा दायर लिखित निवेदनों के कंडिका 30 में दिया गया है, जो इन मामलों में अपनाई गई विलंबकारी युक्तियों को प्रकट करता है। न्यायालय, हम चेतावनी देते हैं, उन व्यक्तियों से सतर्क रहें जो इसे समस्त विधिक प्रक्रियाओं को रोकने के माध्यम के रूप में देखना पसंद करते हैं। हम उन मुद्दों में आगे जाने का प्रस्ताव नहीं करते, क्योंकि इस चरण पर हम उन प्रश्नों का उत्तर देने से संबंधित हैं जो हमारे द्वारा निर्मित किए गए हैं।

16. अधिनियम की धारा 139 ने 1989-90 से पूर्व तथा उसके पश्चात, प्रत्येक व्यक्ति पर निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित रीति से आयकर विवरणी दाखिल करने का एक वैधानिक आदेश अधिरोपित किया। प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा दिनांक 01.04.1989 से प्रभावी रूप से आयकर अधिनियम में विभिन्न संशोधन किए गए, जिसके द्वारा आकलन अधिकारी को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी दाखिल करने की

समय-सीमा बढ़ाने की तथा धारा 139(3) के अंतर्गत, अग्रसारित किए जाने हेतु आशयित हानि की विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं रही। धारा 139(4) के अंतर्गत विलंबित विवरणी अथवा धारा 139(5) के अंतर्गत संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारित समय को संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष तक कम कर दिया गया। धारा 139(2) का प्रावधान धारा 142(1)(i) में अंतर्निहित कर दिया गया। धारा 142(1)(i) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने हेतु नोटिस स्वयं निर्धारण वर्ष के दौरान जारी नहीं किया जा सकता और संबंधित व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की न्यूनतम अवधि देना आवश्यक नहीं है। जब धारा 142(1)(i) के अंतर्गत नोटिस के अनुसरण में विवरणी प्रस्तुत की जाती है, तो धारा 147 का सहारा लिए बिना धारा 143 के अंतर्गत आकलन किया जा सकता है। आगे, धारा 271(1)(क) के विलोपन के साथ, धारा 139(1) के अंतर्गत नियत समय के भीतर आय विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड, समाप्त कर दिया गया। धारा 234A के अंतर्गत दंडात्मक ब्याज का अधिरोपण अनिवार्य कर दिया गया और ब्याज को कम करने अथवा माफ करने हेतु आकलन अधिकारी का विवेकाधिकार समाप्त कर दिया गया। धारा 142(1)(i) के अंतर्गत नोटिस का अनुपालन न करना धारा 276 सीसी के अंतर्गत अभियोजन को आकर्षित कर सकता है।

17. आयकर अधिनियम ने, अतः, धारा 271(1)(a) के अंतर्गत दंड तथा धारा 276 सीसी के अंतर्गत अभियोजन, दोनों का उपबंध किया था; प्रथम राजकोष को देय करों से वंचित करने के लिए तथा बाद वाला किए गए अपराध/उल्लंघन के लिए। जैसा कि पहले ही इंगित किया गया है, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा धारा 271(1)(क) के अंतर्गत दंड का प्रावधान दिनांक 01.04.1989 से प्रभावी रूप से विलोपित कर दिया गया और अधिनियम की धारा 234(क) के अंतर्गत अनिवार्य/बाध्यकारी ब्याज अधिरोपण का प्रावधान प्रविष्ट किया गया। परंतु, विधानमंडल ने अधिनियम की धारा 276 सीसी के अंतर्गत आय

विवरणी प्रस्तुत न करने के उल्लंघन या चूक के लिए अपनी अभियोजन संबंधी उपबंधों को कभी माफ या शिथिल नहीं किया है।

18. अधिनियम की धारा 139, जैसा कि संबंधित समय पर थी, निम्नलिखित है:

"**139.** (1) प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी कुल आय अथवा किसी अन्य व्यक्ति की वह कुल आय जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण योग्य है, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, उस अधिकतम राशि से अधिक थी जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो वह, नियत तिथि को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपनी आय अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी, निर्धारित प्रपत्र में, तथा निर्धारित रीति से सत्यापित करके, तथा ऐसे अन्य विवरणों को, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, उल्लेखित करते हुए, प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-धारा में, "नियत तिथि" से तात्पर्य है—

(क) जहाँ निर्धारणार्थी एक कंपनी है, निर्धारण वर्ष के 30 नवम्बर का दिन;

(ख) जहाँ निर्धारणार्थी कंपनी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति है —

(i) ऐसे मामले में, जहाँ निर्धार्यी के लेखे इस अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के अधीन लेखापरीक्षित किए जाना अपेक्षित हों, अथवा जहाँ धारा 80एचएचसी या धारा 80एचएचडी के अधीन किसी लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, अथवा सहकारी समिति के मामले में, निर्धारण वर्ष की 31 अक्टूबर;

(ii) ऐसे मामले में, जहाँ इस उप-धारा में उल्लिखित कुल आय में व्यवसाय या पेशा से कोई आय सम्मिलित है, उप-खंड (i) के अंतर्गत आने वाला मामला न होने पर, निर्धारण वर्ष के 31 अगस्त का दिन;

(iii) किसी अन्य मामले में, निर्धारण वर्ष के 30 जून का दिन।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

(3) यदि किसी व्यक्ति को किसी पूर्ववर्ती वर्ष में "व्यवसाय या पेशा से लाभ और प्राप्तियां" शीर्ष के अंतर्गत या "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत हानि हुई है और वह दावा करता है कि हानि अथवा उसका कोई भाग धारा 72 की उप-धारा (1), या धारा 73 की उप-धारा (2), या धारा 74 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3), या धारा 74A की उप-धारा (3) के अंतर्गत अग्रसारित किया जाना चाहिए, तो वह उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुमत समय के भीतर, निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित रीति से सत्यापित और ऐसे अन्य विवरणों सहित, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, हानि की विवरणी प्रस्तुत कर सकता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उप-धारा (1) के अंतर्गत एक विवरणी हो।

(4) कोई भी व्यक्ति, जिसने उप-धारा (1) के अंतर्गत उसे अनुमत समय के भीतर, या धारा 142 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी नोटिस के अधीन अनुमत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, वह किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए विवरणी, संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, अथवा आकलन पूर्ण होने से पूर्व, जो भी पहले हो, किसी भी समय प्रस्तुत कर सकता है:

19. उपर्युक्त प्रावधानों का साधारण पठन यह इंगित करता है कि निर्धारणार्थी के लिए नियत तिथि से पूर्व विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है। उक्त धारा का स्पष्टीकरण (क) "नियत तिथि" पद को परिभाषित करता है, जो निर्धारण वर्ष की 30 नवम्बर है। समय पर विवरणी दाखिल न करने के परिणाम भी अधिनियम में उपबंधित किए गए हैं। आगे, धारा 276 सीसी के क्षेत्राधिकार को सम्यक रूप से समझने के लिए धारा 142 तथा 148 का संदर्भ भी आवश्यक है। धारा 142 का प्रासंगिक अंश, जैसा कि संबंधित समय पर था, नीचे उद्धृत किया गया है:

"142. आकलन के पूर्व जांच.- (1) इस अधिनियम के अंतर्गत आकलन करने के प्रयोजनार्थ, आकलन अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने धारा 139 के अंतर्गत

विवरणी प्रस्तुत की है, या जिसके मामले में उस धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अनुमत समय समाप्त हो गया है, एक नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे, उसमें निर्दिष्ट तिथि को,-

(i) जहाँ ऐसे व्यक्ति ने धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुमत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, इस अधिनियम के अंतर्गत जिसके संबंध में वह निर्धारण योग्य है, अपनी आय अथवा किसी अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी, निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित रीति से सत्यापित करके, तथा ऐसे अन्य विवरणों को, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, उल्लेखित करते हुए, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, या

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

20. धारा 148 उस नोटिस के जारी किए जाने का संदर्भ देती है जहाँ आय आकलन से वंचित रह गई हो। तत्संबंधी प्रासंगिक अंश सुविधा हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:

"148. (1) धारा 147 के अंतर्गत आकलन, पुनराकलन या पुनर्गणना करने से पूर्व, आकलन अधिकारी निर्धारणार्थी को एक नोटिस तामील करेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नोटिस में निर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो तीस दिनों से कम नहीं होगी, संबंधित निर्धारण वर्ष के अनुरूप पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, इस अधिनियम के अंतर्गत जिसके संबंध में वह निर्धारण योग्य है, अपनी आय अथवा किसी अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी, निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित रीति से सत्यापित करके, तथा ऐसे अन्य विवरणों को, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, उल्लेखित करते हुए, प्रस्तुत करे; और इस अधिनियम के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, तदनुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने हेतु अपेक्षित विवरणी हो।

(2) आकलन अधिकारी इस धारा के अंतर्गत कोई भी नोटिस जारी करने से पूर्व, ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।"

21. धारा 139 की उप-धारा (1), धारा 142 की उप-धारा (1) के खंड (i) तथा धारा 148 का उल्लेख अधिनियम की धारा 276सीसी में किया गया है। धारा 276सीसी निम्नलिखित रूप में उद्धृत की जाती है:

"**276सीसी. आय विवरणियां प्रस्तुत करने में विफलता.** यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर नियत समय में आय विवरणी, जिसे वह धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत या धारा 142 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अंतर्गत या धारा 148 के अंतर्गत दिए गए नोटिस द्वारा प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित है, प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह—

(i) ऐसे मामले में जहाँ कर की वह राशि, जिसे, यदि उक्त विफलता का पता न चला होता, अपवंचित किया गया होता, एक लाख रुपये से अधिक है, ऐसे कारावास से, जो सश्रम कारावास होगा, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी परंतु जो सात वर्ष तक विस्तारित हो सकती है, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह से कम नहीं होगी परंतु जो तीन वर्ष तक विस्तारित हो सकती है, और जुर्माने से, दंडनीय होगा: परंतु, किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियत समय में आय विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी—

(i) किसी भी ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल, 1975 से पूर्व प्रारंभ होता है; या

(ii) किसी भी ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल, 1975 को या उसके पश्चात प्रारंभ होता है, यदि—

(क) विवरणी उसके द्वारा निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत कर दी जाती है; या

(ख) नियमित आकलन पर निर्धारित कुल आय पर उसके द्वारा देय कर, यदि कोई,

अग्रिम कर का भुगतान किए जाने तथा स्रोत पर काटे गए कर द्वारा कम किए जाने के पश्चात, तीन हजार रुपये से अधिक नहीं है।"

22. धारा 276सीसी की संवैधानिक वैधता को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा *सोनारोम केमिकल्स प्रा. लि. एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* (2000) 242 आई.टी.आर. 39 (कर्ना.) में यह कहते हुए बरकरार रखा गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा 21 का उल्लंघन नहीं करती है। यह धारा उस व्यक्ति को दंडित करती है जो "जान-बूझकर समय पर आय विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है"। "जान-बूझकर चूक" की व्याख्या, जैसा कि *वेलिंगटन बनाम रेनॉल्ड* (1962) 40 टी.सी. 209 में विल्बर फोर्स, न्यायमूर्ति द्वारा अवलोकित किया गया है, यह है कि "करदाता द्वारा वह कार्य, जो उसे करना चाहिए था, यह जानते हुए कि उसे न करना गलत था, उसे करने में कोई जानकर अथवा आशयपूर्ण विफलता"। निर्धारणार्थी अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत नियत तिथि को या उससे पूर्व विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाह्य सीमा निर्धारण वर्ष की 31 अगस्त नियत की गई है, और वर्तमान मामले में, नियत तिथि के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई, अपितु अधिनियम की धारा 142 तथा 148 के अंतर्गत नियत समय तथा नियत समय में विवरणी प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया गया अतिरिक्त अवसर भी ग्रहण नहीं किया गया।

23. धारा 276सीसी उन स्थितियों पर लागू होती है जहाँ किसी निर्धारणार्थी ने अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार आय विवरणी दाखिल करने में विफलता की हो अथवा अधिनियम की धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत निर्धारणार्थी को जारी नोटिसों के प्रत्युत्तर में विवरणी दाखिल नहीं की हो। धारा 276सीसी का परंतुक वास्तविक निर्धारणार्थियों को कुछ राहत प्रदान करता है। धारा 276सीसी का परंतुक अभियोजन से बचने हेतु निर्धारण वर्ष की समाप्ति तक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आगे का समय प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार

नियत तिथि निर्धारण वर्ष की 31 अगस्त होगी, तथापि निर्धारणार्थी को विवरणी पूर्ण करने तथा दाखिल करने हेतु आगे सात माह का समय प्राप्त होता है और ऐसी विवरणी, यद्यपि विलंबित हो, निर्धारणार्थी के अभियोजन को आकर्षित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार, धारा 276सीसी के खंड (ii)(ख) में परंतुक यह भी उपबंध करता है कि यदि नियमित आकलन द्वारा निर्धारित देय कर, अग्रिम कर के भुगतान तथा स्रोत पर काटे गए कर द्वारा कम किए जाने के पश्चात, ₹ 3,000/- से अधिक नहीं है, तो ऐसे निर्धारणार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए अभियोजन नहीं किया जाएगा। फलतः, धारा 276सीसी के अंतर्गत परंतुक अधिनियम की धारा 276सीसी के अंतर्गत अभियोजन की कठोरता से उन वास्तविक निर्धारणार्थियों की रक्षा करता है, जो या तो विलंब से किंतु निर्धारण वर्ष की समाप्ति के भीतर विवरणियां प्रस्तुत कर देते हैं अथवा जिन्होंने पूर्व-भुगतान कर के माध्यम से अपने कर देयों की पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया है।

24. यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 276सीसी में धारा 139 की उप-धारा (1), धारा 142(1)(i) तथा धारा 148 को सम्मिलित किया गया है। परंतु, धारा 276सीसी के परंतुक में केवल अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) को सम्मिलित किया गया है और धारा 142(1)(i) अथवा 148 के प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। परिणामतः, परंतुक का लाभ केवल अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत अपेक्षित स्वैच्छिक रूप से विवरणी दाखिल करने के लिए ही उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, विवरणी दाखिल करने में विफलता का पता चलने के पश्चात तथा अधिनियम की धारा 142(1)(i) या 148 के अंतर्गत आय विवरणी दाखिल करने हेतु नोटिस जारी किए जाने के पश्चात, परंतुक लागू नहीं होगा। अतः, परंतुक का अभिप्राय यह है कि विफलता का पता चलने या खोज होने तथा अधिनियम की धारा 142 या 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाने से पूर्व, विलंबित विवरणी भी दाखिल की जा सकती है।

25. हम इस संबंध में धारा 139 की उप-धारा (4) का भी संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें विधानमंडल ने "जो भी पहले हो" पदावली का प्रयोग किया है। धारा 139(1) तथा धारा 142 की उप-धारा (1) दोनों का उल्लेख धारा 139 की उप-धारा (4) में किया गया है, जो समय-सीमा निर्दिष्ट करती है। अतः, "जो भी पहले हो" पदावली को धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुमत समय अथवा धारा 142 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी नोटिस के अधीन अनुमत समय, जो भी पहले हो, के साथ पढ़ा जाना होगा। जहाँ तक वर्तमान मामला संबंधित है, यह पहले ही देखा जा चुका है कि निर्धारणार्थी ने न तो धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुमत समय के भीतर और न ही धारा 142 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी नोटिसों के अधीन अनुमत समय के भीतर विवरणी दाखिल की थी।

26. हमने इंगित किया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा विवरणियां दाखिल करने में विफलता पर, आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय आकलन किया और बाद में अधिनियम की धारा 276सीसी के अंतर्गत अभियोजन आरंभ करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। धारा 276सीसी का परंतुक कहीं भी यह नहीं कहता कि धारा 276सीसी के अंतर्गत अपराध उन निर्धारणार्थियों की श्रेणियों द्वारा नहीं किया गया है जो उस परंतुक के क्षेत्राधिकार में आते हैं, बल्कि यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, यह केवल यह उपबंध करता है कि परंतुक के अधीन विशिष्ट परिस्थितियों में अभियोजन आरंभ नहीं किया जा सकता। जो निर्धारणार्थी परंतुक के खंड 2(ख) के अंतर्गत आता है, उसने निस्संदेह धारा 276सीसी के अंतर्गत अपराध किया है, परंतु कर ₹ 3,000/- से कम होने के कारण उसे अभियोजन से छूट है। ऐसा निर्धारणार्थी पता चलने से पूर्व विलंबित विवरणी दाखिल कर सकता है और परंतुक का लाभ प्राप्त कर सकता है। परंतुक मुख्य धारा को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह केवल निर्धारणार्थियों की कुछ श्रेणियों को कुछ लाभ प्रदान करता है। संक्षेप में, धारा 276सीसी के अंतर्गत अपराध धारा 139(1) के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता

अथवा धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस का उसमें निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रत्युत्तर देने में विफलता पर आकर्षित होता है।

27. हम यह इंगित कर सकते हैं कि उपर्युक्त तर्क को इस न्यायालय के *प्रकाश नाथ खन्ना* (उपरोक्त) के निर्णय का समर्थन प्राप्त है। जब हम उपर्युक्त सिद्धांतों को वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू करते हैं, तो अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की यह दलील कि उनकी विवरणी दाखिल करने में कोई जान-बूझकर विफलता नहीं रही है, स्वीकार नहीं की जा सकती और तथ्यों के आधार पर, अधिनियम की धारा 276सीसी के अंतर्गत अपराध इन सभी अपीलों में बनता है तथा उन्मोचन हेतु आवेदन की अस्वीकृति में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

28. हमें अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की इस दलील में भी कोई आधार नहीं प्रतीत होता कि अपीलीय कार्यवाही की लंबितता अधिनियम की धारा 276सीसी के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही आरंभ न किए जाने के लिए कोई प्रासंगिक कारक है। धारा 276सीसी यह परिकल्पित करती है कि विवरणी दाखिल न किए जाने पर अपराध किया जाता है और यह दंड निर्धारण हेतु अपराध के द्वितीय भाग को छोड़कर, आकलन कार्यवाही की लंबितता से पूर्णतः असंबद्ध है; उल्लंघन की सीमा निर्धारित करने के लिए विभाग सर्वोत्तम निर्णय आकलन का सहारा ले सकता है अथवा अन्यथा विगत वर्षों के आधार पर उल्लंघन की सीमा का निर्धारण कर सकता है। हमारे मत में, धारा 276सीसी की भाषा स्पष्ट है, वैसे ही विधानमंडल की मंशा भी। यह विधि का सुविदित सिद्धांत है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बी. परमानंद बनाम मोहन कोइकल (2011) 4 एस.सी.सी. 266 में पहले ही धारित किया गया है कि "किसी विधि में प्रयुक्त भाषा, विधानमंडल की मंशा का निर्धारक कारक होती है। यह विधि का सुवस्थापित सिद्धांत है कि कोई न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान में, जो स्पष्ट एवं निर्विवाद हो, कुछ भी जोड़कर नहीं पढ़ सकता।" यदि विधानमंडल की मंशा यह होती कि अपील अथवा अन्यथा के माध्यम से आकलन कार्यवाही पूर्ण होने तक अभियोजन

कार्यवाही को रोका जाए, तो ऐसा उपबंध धारा 276 सीसी में स्वयं किया गया होता। अतः, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की यह दलील कि आकलन कार्यवाही के समापन तक कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया जा सकता, विशेषकर ऐसे मामले में जहाँ अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार अथवा धारा 142 या धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिसों के अनुपालन में विवरणी दाखिल नहीं की है, उत्पन्न नहीं होती।

29. हम यह भी मानते हैं कि साझेदारों द्वारा अपनी व्यक्तिगत विवरणियों में किया गया यह उद्घोषणा या कथन कि फर्म के लेखे अंतिम रूप से तैयार नहीं किए गए हैं, अतः फर्म द्वारा कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई है, अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत वैधानिक विवरणी दाखिल करने से फर्म को उन्मुक्त नहीं करेगा। फर्म को स्वतंत्र रूप से विवरणी दाखिल करना आवश्यक है और केवल इस कारण कि धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय आकलन किया गया है, अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार विवरणी दाखिल करने के लिए फर्म की देयता निष्प्रभावी नहीं हो जाएगी। अपीलकर्ताओं की यह दलील कि चूँकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत विवरणियों में यह इंगित किया था कि फर्म के लेखे अंतिम रूप से तैयार नहीं किए गए हैं, अतः कोई विवरणियां दाखिल नहीं की गई थीं, इसका अर्थ यह होगा कि विवरणी दाखिल करने में विफलता जान-बूझकर नहीं थी, स्वीकार नहीं की जा सकती।

30. धारा 278 ई दोषपूर्ण मानसिक अवस्था के संबंध में अनुमान से संबंधित है, जिसे कराधान विधि (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रविष्ट किया गया था। प्रश्न यह है कि धारा 278 ई के अंतर्गत यह सिद्ध करने का भार किस पर है, अभियोजन पक्ष पर या निर्धारणार्थी पर, कि निर्धारणार्थी ने विवरणियां दाखिल करने में जान-बूझकर चूक की है या नहीं की है। धारा 276 सीसी जैसे अपराध के अभियोजन में न्यायालय को दोषपूर्ण मानसिक अवस्था के अस्तित्व का अनुमान करना होता है और इसके विपरीत सिद्ध करना अभियुक्त का दायित्व है और वह भी संदेह से परे। परिणामतः, अपीलकर्ताओं को वे

परिस्थितियाँ सिद्ध करनी होंगी जिनके कारण वे धारा 139(1) के अनुसार अथवा अधिनियम की धारा 142 तथा 148 के अंतर्गत नोटिसों के प्रत्युत्तर में विवरणियां दाखिल करने से वंचित रहे।

31. अतः, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। अतः, इन अपीलों में कोई गुण-दोष नहीं है और इन्हें खारिज किया जाता है। आपराधिक न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार माह के भीतर विचारण पूर्ण करे।

आर.पी. अपीलें खारिज की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।